(२)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–38 / 2016–17

मुकेश कुमार बनाम मो0 सरस्वती देवी वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
18/12/18	**आदेश** आवेदक के द्वारा यह वाद विपक्षीगण की पटना सदर अंचल अंतर्गत मौजा–दीघा, थाना नं0 1 में कायम जमाबंदी सं0 9045 / 22604 एवं 9044 को रद्द करने हेतु दायर किया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है। **प्रथम पक्ष** 1. मुकेश कुमार, पिता स्व0 नारायण राय, मोहल्ला–कुर्जी सैदपुर कोठीया, थाना–फुलवारीशरीफ (पुराना) दीघा(नया), जिला–पटना। **द्वितीय पक्ष** 1. मो0 सरस्वती देवी, पति स्व0 ठनक राय, 2. विनय कुमार 3. कमलेश कुमार, दोनों पिता–ठनक राय, 4. पारस राय, पिता स्व0 बद्री राय, सभी पता– कुर्जी सैदपुर कोठीया, थाना–फुलवारीशरीफ (पुराना) दीघा(नया), जिला–पटना। वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षीगण को नोटिस निर्गत की गयी। नोटिस का तामिला अप्राप्त है। कोई भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक के द्वारा भी इस वाद में दिनांक–15.05.2018 से पैरवी करना छोड़ दिया गया। आवेदक सुनवाई की लगतार तिथि यथा 15.05.18, 30.06.18, 21.08.18, 11.10.18 को उपस्थित नहीं हुए। आवेदक आज भी अनुपस्थित हैं। स्पष्ट है कि आवेदक को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है। आवेदन का अवलोकन किया। आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण की जमाबंदी पटना सदर अंचल के दाखिल खारिज वाद सं0 474 / 1 वर्ष 2015–16 के आदेश से कायम की गयी है। आवेदक चाहें	

	तो दाखिल खारिज वाद सं0 474/1 वर्ष 2015–16 में पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। वाद अस्वीकृत करते हुए, कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** 18/1/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना 18/1/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना	